निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 108 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश के माह 12/2017 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर०एन०यादव, श्री अक्षय कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री सत्यवीर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18/01/2019 से 30/01/2019 तक श्री वी0पी0 सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार, श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो एवं श्री सत्यवीर सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.11.2017 से 11.12.2017 तक में श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2016 से 11/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2017 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**खण्ड का कार्य क्षेत्र 3 विधान सभाओं ऋषिकेश, डोईवाला एवं रायपुर में विस्तृत है, जिसमें खण्ड द्वारा मार्गो के रख–रखाव नवनिर्माण एवं पुर्ननिर्माण सम्बन्धी कार्य किये जाते है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	-	-	607.78	607.78	4882.95	4882.95	-	0.00
2017-18	-	-	746.78	746.78	6071.56	5911.57	-	159.99
2018-19 (up to 12/2018)	-	-	869.23	654.00	4523.88	3878.15	-	860.96

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(रू0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2016-17						
2017-18						
2018-19 (up to 12/2018)			**शून्य**			

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन/प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'ए' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

–– सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन

––प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून

––मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, क्षे0का0, देहरादून

–– अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून

–– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जनपद देहरादून में भानियावाला से ऋषिकेश मार्ग पर भानियावाला से रानीपोखरी (डांडी) तक (एयरपोर्ट के समीप) दो लेन मार्ग का चार लेन में परिवर्तन कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13**, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 05.02. 2018 से 07.02.2018 तक में निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2018 एवं 09/2018 तक की गई।

4. फार्म–51: माह 12/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् है:–

भाग प्रथम ₹ 20468657.00

भाग द्वितीय ₹ 10405032.50

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 12/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 9022349.11

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप ₹ 156119893.25

(ङ) भण्डार `(-) 7965994.52

भाग दो 'ब'

प्रस्तर :1 रू0 168.33 लाख की लागत के निर्माण कार्य में अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किया जाना तथा निर्माण कार्य पर रू0 21.31 लाख का परिहार्य व्यय।

शासनादेश संख्या–2448/III(2)/16–23(एम0एल0ए0)/2016 लोक निर्माण अनुभाग–2, दिनांक 16.09.2016 के द्वारा **"राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में सनगॉव मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य (लम्बाई–5.00 कि0मी0)"** हेतु रू0 168.33 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 5755 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा उपरोक्त मार्ग के विस्तृत आगणन पर लागत रू0 168.33 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शेडयूल बी में दी गयी मात्राओं के आधार पर कार्य की आगणित लागत रू0 1,45,21,133.70 मात्र आती है।

लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया किः–

1. खण्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्त कार्य के लिये निविदा सूचना दिनांक 18.10.2016 को प्रकाशित की गयी थी जबकि उपरोक्त कार्य के लिये तकनीकी स्वीकृति दिनांक 23.12.2016 को प्राप्त हुयी थी।

2. उत्तराखण्ड शासन के लोक निर्माण विभाग के शासनादेश दिनांक 13 मई 2002 के बिन्दु 2 (च) के अनुसार रू0 40.00 लाख से अधिक स्वीकृत लागत के कार्यो की निविदायें नेशनल कम्पीटेटीव बिडिंग के अन्तर्गत टूबिड सिस्टम के आधार पर विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार पत्रों में वृहद प्रचार एवं प्रसार हेतु, सूचना निदेशक के माध्यम से दो बार प्रकाशित करायी जाये। इसमें कम से कम दो समाचार पत्र (एक राष्ट्रीय एवं एक प्रादेंशिक) अवश्य अंकित करें, जिसमें निविदा सूचना प्रत्येक दशा में प्रकाशित की जानी है। उपरोक्त के अलावा उत्तराखण्ड शासन के लोक निर्माण अनुभाग–2 के पत्रांक 1197 दिनांक 24 फरवरी 2014 के बिन्दु 2 के अनुसार ई–निविदा एवं टू–बिड सिस्टम के अनुसार निविदा रू0 1.50 करोड़ से अधिक लागत के कार्यो के सम्बन्ध में ही की जायेगी।

खण्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य के लिये निविदा सूचना दिनांक 18.10.2016 को समाचार पत्र दैनिक प्रधान टाइम्स/दैनिक उत्तरांचल आस में प्रकाशित की गयी थी। उपरोक्त दोनो ही समाचार पत्र अत्यन्त ही स्थानीय स्तर के है जबकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 भी, निविदा सूचना दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने के लिये प्रावधानित करता है।

3. खण्ड कार्यालय द्वारा किये गये अनुबन्ध में निर्माण कार्य आरम्भ की तिथि 31.12.2016 तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने के तिथि दिनांक 30.06.2017 निर्धारित थी। अतः निर्माण कार्य 06 माह में पूर्ण किया जाना था। जबकि खण्ड कार्यालय द्वारा ठेकेदार को निम्न प्रकार से समयावृद्धि दी गयी।

क्र0सं0	रूकावट का प्रकार	कार्य में रूकावट की तिथि		समयावृद्धि की अवधि
		से	तक	
1.	पेयजल लाईन शिफिटंग हेतु ग्रामीणों का विवाद	05.01.2017	29.01.2017	25 दिन
2.	वर्षाकाल होने के कारण	16.06.2017	15.09.2017	3 माह
3.	खनन बन्द होने के कारण	17.09.2017	15.11.2017	2 माह
4.	डामरीकरण हेतु शीतकाल में मौसम अनुकूल न होने के कारण	16.11.2017	15.02.2018	3 माह

उपरोक्त के अलावा लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जून 2017 से अगस्त 2017 के दौरान जाखन नदी में भारी बाढ़ आने के कारण मार्ग लगभग 50 मीटर की लम्बाई में पूर्ण रूप से बह जाने के कारण यातायात बन्द हो गया था तत्समय अन्दर की ओर उक्त भाग पर कटान करतें हुये मार्ग यातायात हेतु खोला गया था जिस कारण रू0 21.31 लाख की अतिरिक्त मदों को शामिल करते हुये उक्त कार्य को किया गया था।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि पेयजल लाईन शिफिटंग के विवाद से बचा गया होता या समय रहते इस विवाद को निपटाया गया होता (क्योंकि लेखा अभिलेखों में पेयजल लाईन शिफिटंग के कारण निर्माण कार्य में व्यवधान से सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा अधिशासी अभियन्ता को लिखा गया दिनांक 21.02.2018 का एकमात्र पत्र पाया गया) तो खण्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य को 30 जून 2017 तक पूर्ण किया जा सकता था, 8 माह 25 दिन की समयावृद्धि से बचा जा सकता था तथा उपरोक्त निर्माण कार्य पर रू0 21.31 लाख की अतिरिक्त मदो पर किये गये व्यय से बचा जा सकता था क्योंकि खण्ड कार्यालय द्वारा एक तरफ तो तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व ही निविदा सूचना प्रकाशित की जाती है तथा दूसरी ओर खण्ड कार्यालय द्वारा 6 माह के कार्य के लिये 8 माह 25 दिन की समयावृद्धि दी जाती है तथा अतिरिक्त मदों पर रू0 21.31 लाख का अतिरिक्त व्यय किया जाता है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया किः–

1. निविदा वृत्तीय कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से आमंत्रित की गयी थी। चंकि आम चुनाव निकट था अतः निविदा प्रकाशित की गयी ताकि आचार संहिता से पूर्व कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

2. कार्य की निविदा वृत्तीय कार्यालय द्वारा कार्य के आंकलन जोकि 1.5 करोड़ से कम था, के अनुरूप टूबिड सिस्टम में नही था।
3. कार्य समयावधि में कार्य स्थल पर पेयजल लाईन शिफिटंग, वर्षा काल, खनन बन्द व शीतकालीन सत्र में कार्य में रूकावट के कारण समयवृद्धि सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया।

   उत्तर मान्य नही था क्योंकि इकाई द्वारा निविदा सूचना के प्रकाशन में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नही किया गया तथा वृत्त कार्यालय से रू0 168.33 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने पर भी **ई–निविदा एवं टू–बिड सिस्टम** का अनुपालन नही किया गया। यदि इकाई द्वारा पेयजल लाईन शिफिटंग के विवाद से बचा गया होता या समय रहते इस विवाद को निपटाया गया होता तो खण्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य को 30 जून 2017 तक पूर्ण किया जा सकता था तथा रू0 21.31 लाख के परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था क्योंकि इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार जाखन नदी में बाढ़ दिनांक 11.07.2017 एवं 12.07.2017 को आयी थी।

अतः रू0 168.33 लाख की लागत के निर्माण कार्य में अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन न किया जाना तथा निर्माण कार्य पर रू0 21.31 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर– 2 निक्षेप में विभिन्न खण्डो से प्राप्त धनराशि रू0 74.58 लाख का मैक्सफाल्ट की आपूर्ति नही कर दायित्व का सृजन किया जाना तथा कार्यो/मदों पर प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय किये जाने के कारण ऋणात्मक अवशेष रू0 (–) 93.61 लाख का असमायोजित रहना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश के अभिलेखों/निक्षेप पंजिका (वर्ष 2018–19) के अवलोकन में पाया गया कि धनराशि रू0 7458058.00 विभिन्न खण्डो की मैक्सफाल्ट के लिये काफी समय से असमायोजित/अवशेष पड़ी हुयी थी, इस प्रकार मैक्यफाल्ट की आपूर्ति नही कर दायित्व का सृजन किया गया था, जिनका विवरण निम्नवत् थाः–

क्रम सं0	Month from which transaction	खण्ड का नाम	असमायोजित/ अवशेष धनराशि (रू0) (12/2018)
1.	04/2009	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	1022658.00
2.	03/2010	अधि0 अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	113000.00
3.	03/2011	अधि0 अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	2291400.00
4.	03/2011	अधि0 अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,भटवाड़ी	1206000.00
5.	06/2011	अधि0 अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोपेश्वर	2825000.00
		योग	**7458058.00**

आगे निक्षेप पंजिका की जांच में पाया गया कि कई कार्यो/मदों पर प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय किये जाने के कारण ऋणात्मक अवशेष रू0 (–)9360927.00 प्रदर्शित हो रहा था जबकि वित्तीय प्राविधानों के अनुसार निक्षेप कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से अधिक का कार्य नही किया जाना चाहिये। उक्त कार्य मदों पर अधिक किये गये व्यय को सम्बन्धित

विभागों से प्राप्त कर सम्प्रेक्षा तक समायोजन नही किया गया था जबकि कार्य मदों पर transaction date काफी पुरानी थी, जिनका विवरण निम्नवत् थाः–

Deposit register Item No.	Month from which transaction date	Particulars of items	असमायोजित / अवशेष धनराशि (रू0) (12/2018)
10	07 / 2004	गुमानीवाला भट्टोवाला मार्ग	(–) 201779.00
		वसन्तपुर मादसी मार्ग	(–) 154625.00
		धारकोट–तलाई मोटर मार्ग	(–) 229909.00
		थानों धारकोट मार्ग (किमी0 1 से 10 तक) स्लिप सफाई का कार्य	(–) 225326.00
11	11 / 2006	ऋषिकेश में तहसील चौक सड़क निर्माण	(–) 81900.00
19	03 / 2008	सहस्त्रधारा मार्ग के किमी 11 में क्षग्रिस्त कार्यो का पुनः निर्माण	(–) 103952.00
20	10 / 2010	धारकोट तंगोली वढेरना मो0मार्ग किमी0 1 से 07 के मध्य स्लिप सफाई व R/wall लगाने का कार्य	(–) 19240.00
		सूर्यधार सलगांव मार्ग पर स्लिप सफाई का कार्य	(–) 56130.00
		भल्लाफार्म नं0 2 में बंगला नाले पर बने 30 मी0 स्पान हेतु पहुच मार्ग की क्षतिग्रस्त दीवार का निर्माण	(–) 51260.00
		खैरीमानसिंह मार्ग के किमी0 2 व 03 में क्षतिग्रस्त काजवे की मरम्मत का कार्य	(–) 45724.00
		मालदेवता घुत्तुमार्गपर किमी0 0.50 से 1.50 तक में यातायात खोलने हेतु	(–) 122617.00
		मालदेवता घुत्तुमार्गपर किमी0 0.05 से 1.50 तक में यातायात खोलने हेतु	(–) 151268.00
		लडवाकोट मो0मा0 के किमी0 1, 2, 3 व 4 में स्लिप सफाई व किमी0 5.00 में 4.80 से 5.00 में R/wall का निर्माण	(–) 535735.00
		हरिपुर कला क्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय मार्ग एवं मोतीचूर प्रान्तीय मार्ग का सुधार कार्य	(–) 57886.00
28	12 / 2012	खैरीकलॉ मार्ग के किमी0 1 में काजवे की मरम्मत	(–) 4100.00

		का कार्य	
29	06/2014	खैरीमानसिंह मार्ग पर क्षतिग्रस्त मार्ग कार्य	(–) 43160.00
31	06/2014	अपर ईश्वर विहार में क्षतिग्रस्त नाली व सड़क निर्माण	(–) 91586.00
		ग्राम पंचायत माजरी ग्रान्ट के फतेहपुर डांडा में कल्याण सिंह व प्रकाशचन्द के घर तक मार्ग निर्माण	(–) 3710.00
32	06/2014	मालदेवता से हिला सवाली रगड़गॉव मार्ग की मरम्मत का कार्य	(–) 188595.00
34	06/2014	रायपुर कुमाल्डा कद्दुखाल मो0मा0 के किमी0 05 में मरम्मत का कार्य	(–) 165245.00
		रायपुर कुमाल्डा कद्दुखाल मो0मा0 के किमी0 06 में मरम्मत का कार्य	(–) 179337.00
37	08/2014	न्यू कालोनी राहनावाला मन्दिर में सामुदायिक भवन एक हाल व स्टोर हेतु कमरे का निर्माण	(–) 120000.00
		मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्या0 शिक्षा स्कूल सहस्त्रधारा रोड मयूर विहार के जीर्ण शीर्ण प्रांगण को पक्का व पार्किंग शैड का निर्माण कार्य	(–) 69836.00
		अम्बेडकर कालोनी तरला आमवाला में सामुदायिक मिलन केन्द्र का निर्माण	(–) 120985.00
39	08/2014	वार्ड सं0 32 में हुई अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त MDDA के दारपुरम रोड पर स्थित सामुदायिक भवन का कार्य	(–) 218838.00
		प्राचीन शिव मन्दिर अशोक विहार अजबपुर कलां के मन्दिर में सामुदायिक भवन के शेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु	(–) 217817.00
		गुरूराम राय इण्टर कालेज नेहरू ग्राम में सामुदायिक भवन की मरम्मत का कार्य	(–) 460858.00
43	10/2009	कुम्भ मेला 2010 हरिपुर कला गीता कुटीर से आनन्दोत्सव तक नाली का निर्माण	(–)5439509.00
		योग	**(–) 9360927.00**

उपरोक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि अभिलेखों की जांच कर समायोजन की कार्यवाही कर सम्प्रेक्षा को अवगत करा दिया जायेगा। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति

की पुष्टि होती है कि उक्त कार्य मदों के सापेक्ष अभी तक धनराशियों अवशेष पड़ी हुई थी जिनका समायोजन नही किया जा सका था।

अतः निक्षेप में विभिन्न खण्डो से प्राप्त धनराशि रू0 74.58 लाख के मैक्स फाल्ट की आपूर्ति नही कर दायित्व का सृजन किया जाना तथा कार्यो/मदों पर प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय किये जाने के कारण ऋणात्मक अवशेष रू0 (–) 93.61 लाख के असमायोजित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर–3 ठेकेदार के देयकों से देय रू0 71.17लाख एल0डी0 (liquidated damages) की कटौती नहीं कर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुचाना।

जनपद देहरादून में सैफ खेलों के आयोजन हेतु ऋषिकेश–डोईवाला मोटर मार्ग के किमी0 16 हे0मी0 00.2 से थानों–रायपुर–सहस्त्रधारा तक दो लेन मार्ग का निर्माण (जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट से भूइंया मन्दिर तक) कार्य की सर्वप्रथम स्वीकृति फोरलेन फास्ट ट्रेक के निर्माण हेतु शासनादेश सं0–105/111(3)/08-907(JNNURM)/07 दिनांक 20.03.2008 द्वारा 25.00 किमी लम्बाई हेतु रू0 9513.00 लाख की प्राप्त हुई थी। जिसके सापेक्ष मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0) लो0नि0वि0 पौड़ी द्वारा 1.08 किमी0 हेतु रू0 311.72 लाख की प्राविधिक स्वीकृति पत्रांक 2/24(389) याता0–पर्व0/05 दिनांक 03.01.09 द्वारा एवं शेष 22.75 किमी0 मार्ग निर्माण हेतु रू0 6788.45 लाख मात्र की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0) के पत्रांक 1740/24(389) याता0 –पर्व0/05 दिनांक 24/04/09 द्वारा प्रदत्त की गयी। चार लेन में मार्ग निर्माण हेतु अत्यधिक वनभूमि आने के कारण शासन द्वारा पुनः शासनादेश सं0 : 631/111(3)/10-907(JNNURM)/07 दिनांक 06.01.2008 द्वारा मार्ग के फोरलेन फास्ट ट्रेक के स्थान पर मार्ग को दो लेन में निर्मित किये जाने हेतु रू0 4737.76 लाख की संशोधित स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके क्रम में मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0) द्वारा पूर्व में प्रदत्त प्राविधिक स्वीकृति को निरस्त करते हुए अपने कार्यालय के पत्रांकः 2395/24(389) याता0– पर्व0/1210 दिनांक 11.08.10 द्वारा लम्बाई 21.00 किमी0 हेतु रू0 4070.61 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त मार्ग कार्य की लम्बाई 22.08 किमी0 के सापेक्ष 18.435 किमी0 लम्बाई में ही निर्माण किया गया, मार्ग के अवशेष भाग 3.365 किमी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 830.36 लाख की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के पत्र संख्या 3437/9(181) याता0 स्तर–1 (क्षे0का0)/2015 दि0 26.06.2015 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी।कार्य निष्पादन हेतु मुख्य अनुबन्ध मै0 दून इन्फ्रास्ट्रक्चर, देहरादून के साथ अनुबन्ध संख्याः 23/SE-09/15-16 Dated :- 10.08.2015 गठित किया गया जिसके अनुसार अनुबन्धित लागत रू0 71173136.43 एवं आगणित लागत रू0 71816725.84 थी तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 10.08.2015 एवं समाप्ति की तिथि 09.08.2016 थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना जांच (माह 01/2019) में पाया गया कि :

- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता , क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्रांक : 3437/9(181) याता0 स्तर–1 (क्षे0का0)/2015 दि0 26.06.2015 द्वारा प्रदान की गयी थी, जबकि कार्य हेतु निविदा दिनांक 26.02.2015 को ही आमंत्रित की गयी।
- वर्ष 2009 में सैफ खेलों के आयोजन हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी परन्तु आतिथि तक उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कार्य का निष्पादन नही किया जा सका था तथा अभी भी निक्षेप मद में रू0 277.36 लाख (12/2018 के अनु0) अवशेष पड़े हुये थे।
- स्वीकृति सैफ खेलों के लिये प्राप्त हुयी थी कार्य निष्पादन समय से नही होने से न केवल इसका उद्देश्य अपूर्ण रहा बल्कि इससे जन कल्याण भी प्रभावित हुआ।
- अनुबन्ध के section-7 PCC-Clause GCC 46.1के अनुसार 'The liquidated damages for the whole of the works are $(1/2000)^{th}$ of the initial contract price, rounded off to the nearest thousand per day.The maximum amount of liquidated damages for the whole of the works is 10% of the initial contract price. कार्य में विलम्ब हेतु ठेकेदार पर LD लगाया जाना था। कार्य का निष्पादन लेखापरीक्षा तिथि (01/2019) तक पूर्ण नही किया गया था, जबकि कार्य को दिनांक 09.08.2016 तक (अनुबन्ध के अनुसार समाप्ति की तिथि) पूर्ण कर लिया जाना चाहिये था, कार्य के लिये आतिथि तक कोई समयवृद्धि प्रदान नही की गई थी। इस प्रकार कार्य समाप्ति की उक्त तिथि 09.08.2016 के पश्चात् आतिथि तक (28.01.2019) कार्य पर कुल 901 दिनों का बिलम्ब हुआ, जिसके लिये उक्त section-7 PCC-Clause GCC 46.1 के अनुसार LD की धनराशि रू0 7117314.00 देय थी जिसकी कटौती ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिये परन्तु ठेकेदार के बिलों से कोई भी देय LD की धनराशि की वसूली नही की गयी थी, जबकि आतिथि (01/2019) तक कार्य अपूर्ण था।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि वनभूमि होने के कारण वन विभाग द्वारा लगातार कार्य बाधित किया जाता रहा, दीवारों की साइड में Plum concrete का कार्य करवाया जाना शेष है एव हाथी कारिडोर वाले भाग में सी0सी0 द्वारा पटरी का कार्य किया जाना शेष है तथा

शेष मदों का कार्य माह 11/2018 में ही पूर्ण करा दिया गया जिस कारण ठेकेदार पर LD नही लगाई गयी। ईकाई का उत्तर मान्य नही था क्योंकि कार्य निष्पादन हेतु मात्र 12 माह की अवधि निर्धारित की गयी थी जिसे 09.08.2016 तक ही पूर्ण किया जाना था परन्तु आतिथि तक कार्य को पूर्ण नही किया जा सका था तथापि अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार ठेकेदार से देय LD की धनराशि रू0 71.17 लाख की वसूली नही की गयी।

अतः कार्य निष्पादन में हुये बिलम्ब हेतु ठेकेदार के देयकों से देय रू0 71.17 लाख एल0डी0 (liquidated damages) की कटौती नहीं कर ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुचाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-4: रु 191.05 लाख का व्ययवर्तन (Diversion) किया जाना एवं रु 5.66 करोड़ के कार्य को टुकड़ों में बाँट कर निष्पादित किया जाना ।

मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 60/2014 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र रायपुर मे विभिन्न 10 किमी० कच्चे मार्गो का सुद्रढिकरण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु 566.96 लाख की शासनादेश संख्या 2243/III(2)/15-01 (मा०मु०घो०)/2014 टी०सी० दिनांक: 31 मार्च 2015 को प्राप्त हुई। जिस पर रु 566.96 लाख की ही तकनीकी स्वीकृति दिनांक: 27 जून 2015 को मुख्य अभियंता स्तर-1 लोक निर्माण विभाग देहरादून द्वारा प्रदान की गयी। कार्य के निष्पादन हेतु खंड द्वारा कार्य को टुकड़ो मे विभक्त कर विभिन्न फ़र्मों/ठेकेदारो के साथ 06 अनुबंध गठित किए गये। जिसमे प्रथम अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 13.07.2015 व अंतिम अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 08.03.2016 थी। अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० ऋषिकेश से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि:

1. उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो के अवलोकन मे पाया गया कि उक्त कार्य हेतु विभिन्न फ़र्मों/ठेकेदारो के साथ रु 425.86 लाख लागत के 06 अनुबन्ध गठित किए गये, जिनके सापेक्ष माह 12/2018 तक रु 404.48 लाख (अंतिम/अंतिम चालू देयकों के अनुसार) का ही भुगतान किया गया। किन्तु माह 12/2018 के प्रपत्र 64 के अनुसार कार्य पर कुल 595.53 लाख का व्यय किया जा चुका था अर्थात रु 191.05 लाख का अनुचित भुगतान किया गया था।
2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के प्रस्तर संख्या:10 के अनुसार " निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की अवाश्यकता से बचने के लिए

छोटे–छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा। किन्तु उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो के अवलोकन मे पाया गया कि उक्त कार्य की एक ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति के बावजूद कार्य को टुकड़ो मे विभक्त कर वर्ष 2015 से 2017 के मध्य अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता स्तर के रु 425.86 लाख लागत के **06** अनुबंध गठित किए गए थे**,** जिनके सापेक्ष विभाग द्वारा कुल रु 404.48 लाख का भुगतान किया गया था। नियमानुसार उपरोक्त कार्य **e-tendering** के माध्यम से एक ही निविदा आमंत्रित कर अधीक्षण अभियंता स्तर से अनुबंध गठित कर किया जाना चाहिए था।

सम्प्रेक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत करवाया गया कि कार्य पर अवशेष धनराशि कार्य के सापेक्ष गठित अनुबन्धो के अंतर्गत अतिरिक्त मद विचलन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतिरिक्त मद /विचलन अलग से प्रेषित कर दिया जायेगा एवं यदि अन्य कार्य का व्यय भारित हुआ है तो उसका समायोजन कर लिया जायेगा। आगे यह भी अवगत करवाया गया कि कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य को टुकड़ो मे विभक्त किया गया तथा कार्य को टुकड़ो मे विभक्त न करने का नियम संशोधित अधिप्राप्ति अधिनियम 2017 से लागू हुआ है।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नही है क्योकि उक्त कार्य पर अवशेष धनराशि रु 191.05 लाख व्यय किए जाने से संबन्धित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया। न ही खंड द्वारा उक्त धनराशि को अन्य कार्यो पर व्यय करने हेतु किसी भी सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति ली गयी थी तथा लेखापरीक्षा तिथि तक कार्य पर स्वीकृति से भी अधिक व्यय भारित किया गया था, जो वित्तीय नियमानुसार नही है। आगे भी टुकड़ो मे विभक्त करने सम्बन्धी उत्तर भी मान्य नही है क्योकि अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार छोटे-छोटे भागों में कार्य तभी विभाजित किया जा सकता है यदि कार्य का त्वरित सम्पादन किया जाना हो किन्तु उपरोक्त कार्य माह 03/2015 मे स्वीकृति एवं 07/2015 मे चार अनुबंध गठन के बावजूद भी कार्य माह 01/2019 तक पूर्ण नही किया गया था। अधिप्राप्ति (प्रोक्युरमेंट) नियमावली, 2008 माह 05/2008 से लागू है। एक करोड़ से अधिक का कार्य होने के कारण एक साथ अधिप्राप्ति

कर मुख्य अभियंता की स्वीकृति प्राप्त कर अधीक्षण अभियंता स्तर से **e-tendering** के माध्यम से अनुबंध गठित किया जाना चाहिए।

अतः रु 191.05 लाख का व्ययवर्तन (Diversion) किया जाना एवं रु 5.66 करोड़ के कार्य टुकड़ों में बाँट कर निष्पादित किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर-5 : ठेकेदार से रु 3.09 लाख लेबर सेस की कम वसूली किया जाना एवं खण्ड की उदासीनता के कारण स्वीकृति के 05 वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण न किया जाना।

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून मे भानियावाला -ऋषिकेश मार्ग पर भानियावाला से रानीपोखरी(डांडी) तक (एयरपोर्ट के समीप) दो लेन मार्ग को चार लेन मे परिवर्तन कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु 3755.85 लाख की शासनादेश संख्या 4471/III(2)/13-04 (प्रा०आ०)/2013 दिनांक: 19 जुलाई 2013 को प्राप्त हुई। जिस पर रु 3755.85 लाख की ही तकनीकी स्वीकृति दिनांक: 04 सितम्बर 2013 को मुख्य अभियंता(ग0क्षे0) लोक निर्माण विभाग पौड़ी द्वारा प्रदान की गयी। कार्य के निष्पादन हेतु मैसर्स आर०आर० कन्सट्रक्सन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रा०लि० के साथ अनुबन्ध संख्या 25/SE. (9th)/13-14 दिनांक 22.11.2013 को लागत रू 2973.46 लाख का गठित किया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 22.11.2013 व समाप्ति की तिथि 21.05.2015 थी।

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड ऋषिकेश के उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि:-

1. नियमानुसार ठेकेदार के बिलो से 1 प्रतिशत लेबर सेंस की कटौती की जानी चाहिए, लेकिन अभिलेखो मे पाया गया कि उक्त कार्य पर किए गए कुल भुगतान रु 2248.06 लाख के 1 प्रतिशत के अनुसार **रु 22.48 लाख** (1%of 2248.06 लाख) लेबर सेंस की कटौती की जानी चाहिए थी लेकिन खण्ड द्वारा इसके सापेक्ष केवल रु 19.39 लाख के ही लेबर सेंस की कटौती की गयी। रु 3.09 लाख (22.48-19.39) की कम कटौती की गयी थी।
2. आगे कार्य से संबन्धित अभिलेखो के अवलोकन मे पाया गया कि कार्य की स्वीकृति (माह 07/2013) प्राप्त होने एवं उक्त कार्य हेतु माह 11/2013 को अनुबंध गठित होने के बावजूद कार्य अतिथि तक(01/2019) भी पूर्ण नही किया गया था न ही कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण ठेकेदार के विरुध्द कोई कार्यवाही की गयी। न ही ठेकेदार को 05/2015 के बाद कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा कोई समयवृद्धि दी गयी थी। कार्य हेतु ठेकेदार से ली गयी बैंक गारंटी की वैधता भी माह 12/2017 एवं 06/2018 को समाप्त हो चुकी थी।जिसकी वैधता लेखापरीक्षा तिथि तक भी नही बढ़ाई गयी थी। जबकि कार्य अभी भी अपूर्ण था।

उक्त के सम्बन्ध लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा लेबर सेस सम्बन्धी आपत्ति को स्वीकार करते हुए अवगत करवाया गया कि अवशेष रु 3.09 लाख की धनराशि

ठेकेदारों/फर्म के आगामी देयकों से कटौती कर ली जायेगी। तथा आगे यह भी अवगत करवाया गया कि कार्य विधुत एवं पेयजल लाईन शिफ्टिंग मे देरी एवं अन्य भूमि विवाद के कारण कार्य समय पर पूर्ण नही किया जा चुका है तथा 200 मीटर लम्बाई मे अभी भी भूमि विवाद चल रहा है। ठेकेदार को अभी तक कोई भी समयवृद्धि स्वीकृत नही की गयी है।

खण्ड का उत्तर मान्य नही है क्योकि नियमानुसार खण्ड को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि का अधिग्रहण कर लेना चाहिए था, जिसके लिए खण्ड द्वारा ठोस प्रयास नही किया गया, न ही अवशेष कार्य समय पर पूर्ण करने हेतु ठेकेदार के विरुध्द कोई ठोस कार्यवाही की गयी। न ही अभी तक ठेकेदार को कार्य पूर्ण करने हेतु कोई समयवृद्धि स्वीकृत की गयी। जो कार्य के प्रति खण्ड की उदासीनता को दर्शाता है। जिससे विगत 05 वर्षो मे भी कार्य पूर्ण नही किया जा सका। साथ ही समय पर कार्य पूर्ण न होने के कारण जनकल्याण भी प्रभावित रहा।

अतः रु 3.09 लाख लेबर सेस की कम वसूली किया जाना एवं खण्ड की उदासीनता के कारण स्वीकृति के 05 वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण न किया जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर			
	भाग-2अ	कुल	भाग-2ब	कुल
75/1998-99	-	-	1	1
48/1999-2000	1	1	1	1
115/2000-01	1	1	1	1
43/01-02	-	-	1	1
18/03-04	1 2	**2**	1	1
42/04-05	-	**-**	1	1
31/05-06	-	**-**	1 2 3	3
04/06-07	-	**-**	1 2	2
27/07-08	1	**1**	1 2	2
63/08-09	-	**-**	1 2	2
53/10-11	1 2 3	**3**	-	**-**
94/11-12	1	1	1 2 3	3
59/13-14	1	1	1	**1**
07/2014-15	-	-	1 2 3	3
55/2015-16	-	-	1 2 3 4 5	5
54/2017-18	**-**	**-**	**1,2**	**2**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	अनिस्तारित प्रस्तरों की आख्या उच्च अधिकारिओ के माध्यम से पूर्व मे ही कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) को पृथक से प्रेषित कर दी गयी है।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------ शून्य -----

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री बलराम मिश्रा	अधी. अभि.	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक ।

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

1. श्री संजीव कुमार नेगी	विगत लेखापरीक्षा से 04/08/18 तक।
2. श्री पदमेन्द्र सिंह	04/08/2018 से वर्तमान तक ।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II